

यह पाठ केवल एक दस्तावेजीकरण उपकरण के रूप में है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। संघ की संस्थाएँ कोई दायित्व नहीं लेती हैं इसकी विषय-वस्तु के लिए। प्रासंगिक अधिनियमों के प्रामाणिक संस्करण, जिनमें उनकी प्रस्तावनाएँ भी शामिल हैं, वे यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित हैं और EUR-Lex में उपलब्ध हैं। वे आधिकारिक पाठ इस दस्तावेज़ में एम्बेड किए गए लिंक के माध्यम से सीधे सुलभ हैं।

बी विनियमन लागू करने वाला आयोग (ईयू) 2021/2119
1 दिसंबर 2021

ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों से अपेक्षित कुछ अभिलेखों और घोषणाओं तथा प्रमाणपत्र जारी करने के तकनीकी साधनों पर विस्तृत नियम निर्धारित करना।

यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 और संशोधन तीसरे देशों में ऑपरेटरों, ऑपरेटरों के समूहों और निर्यातकों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1378

(ओजे एल 430, 2.12.2021, पृ. 24)

इसके द्वारा संशोधित:

आधिकारिक जर्नल		
नहीं	पेज	तारीख
एम1 आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2022/2240 दिनांक 20 अक्टूबर 2022	एल 294 8	15.11.2022

बी

विनियमन लागू करने वाला आयोग (ईयू) 2021/2119

1 दिसंबर 2021

ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के समूहों से अपेक्षित कुछ अभिलेखों और घोषणाओं तथा प्रमाणपत्र जारी करने के तकनीकी साधनों पर विस्तृत नियम निर्धारित करना।

यूरोपीय संसद और यूरोपीय आयोग के विनियमन (ईयू) 2018/848

तीसरे देशों में ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के समूहों और निर्यातकों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में परिषद और संशोधित आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1378

अनुच्छेद 1

विनियमन के अनुच्छेद 35(1) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र जारी करना

(ईयू) 2018/848 इलेक्ट्रॉनिक रूप में

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 35(1) में संदर्भित प्रमाणपत्र निम्नानुसार जारी किया जाएगा:

(ए) विनियमन के अनुबंध VI में निर्धारित मॉडल के अनुसार

(ईयू) 2018/848;

(बी) इलेक्ट्रॉनिक रूप में, कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2019/1715 के अनुच्छेद 2, बिंदु (36) में संदर्भित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार नियंत्रण और विशेषज्ञ प्रणाली (ट्रेसज़) का उपयोग करके।

एम1

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 35(1) में संदर्भित प्रमाणपत्र पर यूरोपीय संसद के विनियमन (ईयू) संख्या 910/2014 और परिषद

(1) के अनुच्छेद 3, बिंदु (27) में परिभाषित अनुसार एक योग्य इलेक्ट्रॉनिक मुहर होगी।

बी

अनुच्छेद 2

ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के समूहों द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड

1. ऑपरेटर और ऑपरेटर समूहों को स्टॉक और वित्तीय रिकॉर्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज रखने होंगे, जिससे सक्षम प्राधिकारियों या जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारियों या नियंत्रण निकायों को विशेष रूप से निम्नलिखित जांच करने में सहायता मिलेगी:

(ए) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 9(6) और अनुच्छेद 28 के अनुसार उठाए गए निवारक और एहतियाती उपायों की जांच;

(बी) प्रत्यायोजित अधिनियम के अनुच्छेद 1(4) के अनुसार ट्रेसिबिलिटी जांच

विनियमन (ईयू) 2021/771;

(1) यूरोपीय संसद और परिषद के 23 जुलाई 2014 के विनियमन (ईयू) संख्या 910/2014 आंतरिक बाजार में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक पहचान और ट्रस्ट सेवाओं पर और निर्देश 1999/93/ईसी को निरस्त करना (ओजे एल 257, 28.8.2014, पृष्ठ 73)।

बी

(सी) अनुच्छेद 1(5) के अनुसार सामूहिक संतुलन की जांच
प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2021/771.

2. पैराग्राफ 1 के बिंदु (ए) में संदर्भित जांच के प्रयोजनों के लिए रखे जाने वाले दस्तावेजों में, विशेष रूप से, यह पुष्टि करने वाले
दस्तावेज शामिल होंगे कि ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह ने निम्नलिखित के लिए आनुपातिक और उचित उपाय किए हैं:

(क) कीटों और बीमारियों को रोकना;

(ख) ऐसे उत्पादों और पदार्थों से संदूषण से बचें जो विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए
अधिकृत नहीं हैं और गैर-जैविक उत्पादों के साथ मिश्रण से बचें।

अनुच्छेद 3

आधिकारिक नियंत्रण के लिए आवश्यक घोषणाएं और अन्य संचार

ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों को अपनी घोषणाओं या संचार में निम्नलिखित जानकारी शामिल करनी होगी:

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 39(1), बिंदु (बी) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय जो
आधिकारिक नियंत्रण करता है:

(ए) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 35(1) में संदर्भित प्रमाणपत्र द्वारा कवर की गई कौन सी गतिविधियाँ उप-अनुबंधित हैं;

(ख) जैविक, अजैविक और अजैविक उत्पादन इकाइयों का पता या भौगोलिक स्थान, जंगली पौधों या शैवाल के संग्रह का क्षेत्र और
उनकी गतिविधियों के लिए प्रयुक्त अन्य परिसर और इकाइयों का पता या भौगोलिक स्थान;

(ग) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 9(7) के अनुसार अलग-अलग उत्पादन इकाइयों में विभाजित होल्डिंग्स के मामले में, गैर-
जैविक उत्पादन इकाइयों का विवरण और पता या भौगोलिक स्थान;

(घ) उत्पादन का उनका नियोजित पूर्वानुमान।

जहां उपयुक्त होगा, उन घोषणाओं और संचारों को अद्यतन किया जाएगा।

अनुच्छेद 4

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1378 में संशोधन

कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/1378 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(1) अनुच्छेद 1 के दूसरे पैराग्राफ में, बिंदु (ए) को द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है
अगले:

'(क) निम्नानुसार जारी किया जाएगा:

(i) इस योजना के अनुलग्नक I में दिए गए मॉडल के अनुसार
विनियमन;

बी

(ii) आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2019/1715 (*) के अनुच्छेद 2, बिंदु (36) में संदर्भित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार नियंत्रण और विशेषज्ञ प्रणाली (ट्रेसज़) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में;

(*) 30 सितंबर 2019 का आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2019/1715 आधिकारिक नियंत्रण और इसके सिस्टम घटकों (आईएमएसओसी विनियमन) के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली के कामकाज के लिए नियम निर्धारित करता है (ओजे एल 261, 14.10.2019, पृष्ठ 37)।'

(2) अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित तीसरा पैराग्राफ जोड़ा गया है:

'अनुच्छेद 1, दूसरा पैराग्राफ, बिंदु (ए)(ii), 1 जनवरी 2023 से लागू होगा।'

अनुच्छेद 5

लागू होना और लागू होना

यह विनियमन यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशन के तीसरे दिन से लागू होगा।

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

अनुच्छेद 1, बिंदु (बी), 1 जनवरी 2023 से लागू होगा।

एम1

अनुच्छेद 1, दूसरा पैराग्राफ 1 जुलाई 2023 से लागू होगा।

बी

यह विनियमन सम्पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा तथा सभी सदस्य राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होगा।